दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा अनुदानित मानसिक मन्दित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 04-10-2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः-

1. श्री भूपेन्द्र एस0 चौधरी (आई0ए0एस0), निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
2. डा0 बी0पी0 सिंह कल्याणी, निदेशक, स्वास्थ्य एवं अध्यक्ष, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0
2. डा0 ए0के0 श्रीवास्तव, अपर निदेशक (प्रशासन) एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य
3. डा0 अमित कुमार राय, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

बैठक में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य में संचालित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में क्रमशः जनपद बरेली (04 संस्थाएं) एवं जनपद रामपुर (03 संस्थाए) के संचालकों द्वारा प्रत्यावेदन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। इन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्राप्त किए जाने हेतु मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम-2017 के अन्तर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। संस्थाओं के पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के उपरान्त इन संस्थाओं का नवीनीकरण किया जाना है किन्तु राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम-2017 के कतिपय नियमों के आलोक में संस्थाओं का नवीनीकरण ना होने के कारण उन्हें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संस्थाओं के संचालन हेतु प्राप्त होने वाला अनुदान अवमुक्त नहीं किया जा सका है जिस कारण मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जाने में समस्या हो रही है।

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-53/2022/203/65-2-2022-67(विविध)/2014टी0सी0II दिनांक 02 जून, 2022 के बिन्दु संख्या-8 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया में प्राविधानित है कि *मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह से उपचारित एवं ठीक हुए बेघर व्यक्तियों हेतु हॉफ वे होम/लॉग स्टे होम संचालन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली संस्था का मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम-2017 के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र एवं हॉफ वे होम/लॉग स्टे होम के संचालन की सम्पूर्ण व्यवस्था अलग-अलग होगी।*

बैठक में उपस्थित डा0 अमित कुमार राय, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजना के लिए मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम-2017 के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण के सम्बन्ध में कुल 22 संस्थाओं में से क्रमशः जनपद बिजनौर, गोरखपुर, सुल्तानपुर एवं कन्नौज में संचालित कुल 04 संस्थाओं का मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम-2017 के अन्तर्गत नवीनीकरण किया जा चुका है तथा 16 संस्थाओं द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है किन्तु स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा उनका अद्यतन नवीनीकरण नहीं किया गया है तथा शेष 02 संस्थाओं द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

AnyScanner

बैठक में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ की ओर से नामित डा0 बी0पी0 सिंह कल्याणी, निदेशक, स्वास्थ्य जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के अध्यक्ष हैं, उपस्थित हुए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का नवीनीकरण किए जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय समिति (उपजिलाधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी) द्वारा विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है, किन्तु निरीक्षण आख्या स्वास्थ्य विभाग को अप्राप्त होने के कारण उक्त संस्थाओं का नवीनीकरण नहीं किया जा सका है।

उल्लेखनीय है कि मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम-2017 की धारा-65(5) की उपधारा (ख) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्राधिकरण *मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा* अर्थात मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों को संस्था में निर्धारित विभिन्न मानकों यथा-एंबुलेंस की व्यवस्था, चिकित्सक की नियुक्ति (शिफ्ट के रूप में), नर्स आदि को पूर्ण किए जाने की अनिवार्यता है जबकि मानसिक मंदित संगठनों द्वारा संचालित संस्थाएं मानसिक मंदित आश्रय गृह हैं न कि चिकित्सालय तथा इन आश्रय गृहों में मानसिक मंदित निवास करते हैं, अतएव धारा-65(5) की उपधारा(ग) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्राधिकरण *मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के लिए न्यूनतम मानकों को विनिर्दिष्ट करते समय स्थानीय दशाओं का ध्यान* रखे जाने की आवश्यकता है।

तत्क्रम में बैठक में उपस्थित प्राधिकारियों के साथ सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि:-

1. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा अनुदानित उपरोक्त संस्थाओं द्वारा नवीनीकरण के सम्बन्ध में संज्ञानित समस्याओं के दृष्टिगत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-53/2022/203/65-2-2022-67(विविध)/2014टी0सी0II दिनांक 02 जून, 2022 एवं मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाईयां आ रही हैं यथा-एंबुलेंस की व्यवस्था, चिकित्सक, नर्स एवं सामाजिक कार्यकर्ता की अत्यल्प मानदेय पर नियुक्ति आदि। इन व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण किया जाए ताकि मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
2. उक्त संस्थाओं के नवीनीकरण के आवेदनों पर विचार करते समय सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय समिति जिनके सदस्य क्रमशः उपजिलाधिकारी (प्रतिनिधि जिलाधिकारी), जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा अधिकारी) होते हैं, द्वारा संस्था के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गई निरीक्षण आख्या के आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन संस्थाओं का नवीनीकरण किया जाएगा तथा दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 तक उपरोक्त संस्थाओं को नवीनीकरण का आदेश निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र तथा हाफ वे होम एवं अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन हेतु अनुदानित संस्थाओं को प्राप्त होने वाली मानदेय राशि अपर्याप्त है। अतएव इस सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 व अन्य विभागों द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं में निर्धारित न्यूनतम मानदेय धनराशि के समरूप मानदेय इन संस्थाओं को भी प्रदान किया जाए तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से आगामी त्रैमासिक बैठक में अवगत भी कराया जाए।
4. उक्त के अतिरिक्त राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यू0डी0आई0डी0 कार्ड के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किए गए कि प्रत्येक जनपद में दिव्यांगता की जांच किए जाने व प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल डिसेबिलिटीज बोर्ड का गठन किया गया है,

10/7/24

SCAN AnyScanner

जिसकी प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र व यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत किए जाने के कार्य में तीव्रता लाई जाए। ऐसे दिव्यांगजन जिनके प्रकरण मेडिकल डिसेबिलिटीज बोर्ड द्वारा संदर्भित किए जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मण्डल स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति गठित की जाए ताकि संदर्भित प्रकरणों पर निर्धारित समयावधि में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 तथा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 के मध्य बेहतर समन्वय हेतु नियमित रूप से त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें दिव्यांगजन के हितार्थ शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु पारस्परिक विचार-विमर्श कर प्रभावी कार्ययोजना का निर्धारण किया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डा0 अमित कुमार राय)
उप निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

(डा0 ए0के0 श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (प्रशासन)
एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
मानसिक स्वास्थ्य

(डा0 बी0पी0 सिंह कल्याणी)
निदेशक, स्वास्थ्य
एवं अध्यक्ष, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
आई0ए0एस0
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

10.1.24
(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त